भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

176

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कंन्द्र ग्वालियर

नि. - 1529 - PBR-16

प्रकरण कमांक /2016 निगरानी

1— कैलाश पिता मिश्रीमल, जाति भील,
निवासी—ग्राम झरखेड़ी, तहसील व जिला रतलाम

2— सुरेश पिता पूनमचन्द
निवासी—ग्राम झरखेड़ी, तहसील व जिला रतलाम

...........आवेदक

श्री दिनेश व्यास अभि० द्वारा आवे० केन्द्र पर प्रस्तुत
13-5-16

——विरूद्ध——

1 भैरूलाल पिता मेगाजी

2. किशन पिता मेगाजी

3 हरिराम पिता मिश्रीमल
निवासीगण—ग्राम झरखेड़ी, तहसील व जिला रतलाम

4. गणपत पिता बालाजी
निवासी—2 एम.बी. नगर रतलाम

5 प्रदीप पिता शौभाराम
निवासी—118, सुयोग परिषद रतलाम म.प्र.

.........अनावेदकगण

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर तहसीलदार टप्पा बिलपांक के प्रकरण क्रमांक 645 / बी—121 / 15—16 में पारित आदेश दिनांक 07 / 04 / 16 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन—पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :—

01. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर विधान के विपरीत जाकर आदेश पारित करने में महान वैधानिक त्रुटि की है ।

03. यह कि, अनावेदकगण ने अपने बंटवारे के आधार पर धारा 129 भू—राजस्व संहिता के अन्तर्गत सीमांकन हेतु आवेदन ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1529-पीबीआर/16 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	